पत्रांक 15/बी 1–01/2013 – 1054
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

नेवेधित

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 05/6/2015

विषय:– वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में व्याप्त विसंगतियों का निराकरण किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये आय–व्ययक प्राक्कलन में, सरकार द्वारा विहित किये गये प्रमाण पत्र में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल में अन्तर पाया जा रहा है एवं कतिपय कर्मियों के नाम में भी पूर्व वर्षों के तुलना में भी अन्तर पाया जा रहा है।

2. अंकनीय है कि राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गए वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार/परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतएव यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी परिस्थिति में अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय वेतनमान में वेतनादि का प्रावधान बजट में नहीं किया जा रहा है। परन्तु विभागीय पत्रों में इसका उल्लेख बार–बार करने के बावजूद शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मूल वेतन को निर्धारित वेतनमान के उच्चतम प्रक्रम से भी अधिक अंकित करते हुए राशि की मांग की जा रही है, जो विधि सम्मत् नहीं है।

3. विभागीय संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 की कंडिका 30(iv) के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों तथा इसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में वित्त विभाग के पत्रांक 8826 तथा पत्रांक 8825 दिनांक 20.12.2000 के अनुरूप 20.12.2000 के प्रभाव से कर्मियों को पृथक्कीकरण के अनुरूप पदों पर अनुमान्य वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमान्य किया गया है तथा उक्त तिथि के पश्चात् पृथक्कीकरण के अनुरूप निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। परन्तु इस आय–व्ययक में उक्त तिथि के बाद नियुक्त कर्मियों को भी उच्चत्तर वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन का लाभ दिया गया है, जो पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 35 में निहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।

4. राज्य सेवी वर्ग के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में सीधी प्रोन्नति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित कतिपय महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के पदों पर प्रोन्नति दी गयी है, जो विभागीय पत्रांक 344 दिनांक 18.06.1990 में अंकित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।

5. ऊपर की कंडिकाओं में अंकित तथ्यों के आलोक में आपके विश्वविद्यालय के बजट को पारित किया जाना तथा उसके अनुरूप राशि स्वीकृत किया जाना लेखा संधारण एवं स्थापित वित्तीय प्रबंधन के मापदण्डों के अनुसार विधि सम्मत प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः वर्णित विसंगतियों को निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना राज्य एवं विश्वविद्यालय हित में अनिवार्य प्रतीत हो रहा है।

6. कतिपय विश्वविद्यालयों से प्राप्त बजट की जाँच के क्रम में ऐसा पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिन कर्मियों का नाम दर्शाया गया ,था, वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के बजट प्राक्कलन में उनका नाम हटा कर अन्य कर्मी का नाम दिया गया है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों में हाल के वर्षों में वर्ग–III के पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। यह भी परिलक्षित हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट प्राक्कलन में जिन कर्मियों का नाम प्रतिवेदित था, उनके नाम के समक्ष अंकित जन्म तिथि के आधार पर वे सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में बजट समीक्षा के दरम्यान स्थिति स्पष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

7. वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि बजट प्राक्कलन में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने हतु विश्वविद्यालयवार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निम्नवत् बैठक का आयोजन किया जा रहा है :–

क्र0	विश्वविद्यालय का नाम	बैठक की तिथि	बैठक का समय
01	पटना विश्वविद्यालय, पटना।	15.06.2015	11.00 बजे पूर्वाहन्
02	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।	15.06.2015	04.00 बजे अपराहन्
03	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	16.06.2015	11.00 बजे पूर्वाहन्
04	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।	16.06.2015	04.00 बजे अपराहन्
05	जय प्रकाश विश्तविद्यालय, छपरा।	17.06.2015	11.00 बजे पूर्वाहन्
06	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	17.06.2015	04.00 बजे अपराहन्
07	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।	18.06.2015	11.00 बजे पूर्वाहन्
08	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।	18.06.2015	04.00 बजे अपराहन्
09	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	19.06.2015	11.00 बजे पूर्वाहन
10	एम0एम0एच0ए0एफ0 विश्वविद्यालय, पटना	19.06.2015	04.00 बजे अपराहन्

वर्णित तिथि एवं समय पर विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी, वित्त पदाधिकारी, बजट पदाधिकारी, उप कुलसचिव, एवं प्रशाखा पदाधिकारी संबंधित अभिलेख के साथ बैठक में भाग लेने का कष्ट करें, ताकि बजट पर विचार करते हुए आपके विश्वविद्यालय के बजट को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 48 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 49 के अधीन अनुमोदित किया जा सके।

विश्वासभाजन,

Karim 05/06/15

(एस० एम० करीम)
निदेशक, उच्च शिक्षा।